न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या 266 / 2014 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2014 / 00145**

1. कमला पत्नी स्व. महावीर जाति जाट निवासी मोहन मगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

— अपीलान्ट

बनाम

1. भानीसिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह जाति राजपूत निवासी रांयावाली हाल चक 226 आर.डी–आर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार।
3. उप–पंजियक सूरतगढ़।
4. शकुन्तला पुत्री सुभाष पुत्र आशाराम जाति जाट पत्नी स्व. सुरेन्द्र जाट पुत्र महावीर जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. पप्पू उर्फ जयपाल आयु 2–1/2 वर्ष नाबालिग पुत्र सुरेन्द्र जाट जरिये वली कुदरती शकुन्तला माता स्वयं
6. राधेश्याम पुत्र स्व. महावीर जाति जाट निवासी मोहन मगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल केन्द्रीय कारागार बीकानेर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री महावीर प्रसाद शर्मा — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री राजेन्द्र सिंह शिमला — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 2

निर्णय

दिनांक 28.05.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 19.09.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 226 आर.डी–आर तहसील सूरतगढ़ में जगमाल सिंह वगैरह में खाता में 50 बीघा भूमि मेहन्त कंवर पुत्री मेघराज सिंह जाति राजपूत निवासी रांयावाली के नाम से दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मेहन्त कंवर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भानीसिंह को अपनी उक्त भूमि में से दिनांक 02.12.1980 को 25 बीघा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा उक्त भूमि विक्रय कर दी। उक्त भूमि चकबंदी में चक नं. 226 आर.डी–आर में मुरब्बा नम्बर 193/5 में रकबा पेमूद किया जिसमें 22 बीघा भूमि ही तस्दीक है। उक्त 22 बीघा भूमि का इंतकाल संख्या 13 दिनांक 01.09.1993 को दर्ज कर दिया गया। शेष 28 बीघा भूमि पर मेहन्त कंवर पुत्री मेघसिंह के नाम दर्ज रहा। मेहनत कंवर ने अपनी 28 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 13.04.2006 से भूपसिंह पुत्र श्री सुखराम जाट रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को विक्रय कर दी। जिसका इंतकाल संख्या 56 दिनांक 18.4.2006 को भूपसिंह रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम दर्ज किया गया। भूपसिंह पुत्र सुखराम जाट ने उक्त भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 20.06.2007 अपीलांट

कमला पत्नी महावीर जाट एवं महावीर जाट पुत्र भादर राम जाट को विक्रय की गई। जिसका तहसीलदार सूरतगढ़ ने इंतकाल संख्या 59 दिनांक 17.01.2008 को दर्ज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार सूरतगढ़ के इंतकाल संख्या 13 दिनांक 01.09.1993 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अति जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार सूरतगढ़ को रिमाण्ड कर दिया। अति जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 19.09.2011 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मेहन्त कंवर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भानीसिंह को अपनी उक्त भूमि में से दिनांक 02.12.1980 को 25 बीघा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय कर दी। उक्त भूमि चकबंदी में चक नं. 226 आर.डी–आर में मुरब्बा नम्बर 193/5 में रकबा पेमूद किया जिसमें 22 बीघा भूमि ही तस्दीक हुई। उक्त 22 बीघा भूमि का इंतकाल संख्या 13 दिनांक 01.09.1993 को दर्ज कर दिया गया। शेष 28 बीघा भूमि पर मेहन्त कंवर पुत्री मेघसिंह के नाम दर्ज रहा। मेहनत कंवर ने अपनी 28 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 13.04.2006 से भूपसिंह पुत्र श्री सुखराम जाट रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को विक्रय कर दी। जिसका इंतकाल संख्या 56 दिनांक 18.4.2006 को भूपसिंह रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम दर्ज किया गया। भूपसिंह पुत्र सुखराम जाट ने उक्त 28 बीघा भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 20.06.2007 अपीलांट कमला पत्नी महावीर जाट एवं महावीर जाट पुत्र भादर राम जाट को विक्रय की गई। जिसका तहसीलदार सूरतगढ़ ने इंतकाल संख्या 59 दिनांक 17.01.2008 को दर्ज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा घोषणात्मक एवं इस्तकरार हक का पेश कर रखा हैं जिसका निर्णय अभी तक नही हुआ है फिर भी तहसीलदार सूरतगढ़ ने इंतकाल संख्या 56 को आंशिक रूप से 3 बीघा भूमि तक अपास्त कर दिया। जो कानून गलत हैं। वादग्रस्त 3 बीघा भूमि को कमला पत्नी महावीर एवं महावीर पुत्र भादरराम ने सन् 2007 से खरीद कर रखा है। अपीलांट के कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में जानबूझकर अपीलांट को अपील में पार्टी नहीं नही बनाया और अपने पक्ष में एक पक्षीय कार्यवाही करवाकर निर्णय पारित करवा लिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 19.09.2011 को खारिज किया जावे एवं तहसील सूरतगढ़ के इंतकाल संख्या 13 दिनांक 01.09.1993 को यथावत रखा जावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत. का हवाला दिया हैं

1. आर.आर.डी. 2002 पेज संख्या 284
2. आर.आर.डी 2010 पेज संख्या 392
3. आर.आर.डी 2020 पेज संख्या 393
4. आर.आर.डी 2002 पेज संख्या 284
5. आर.आर.डी 1998 पेज संख्या 319

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि को इंतकाल संख्या 13 दिनांक 01.09.1993 एवं 56 दिनांक 18.04.2006 कानून के विपरीत हैं। वादग्रस्त भूमि चक 226 आर.डी–आर तहसील सूरतगढ़ में जगमाल सिंह वगैरह में खाता में 50 बीघा भूमि मेहन्त कंवर पुत्री मेघराज सिंह जाति राजपूत निवासी रांयावाली के नाम से दर्ज थी।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपनी 50 बीघा भूमि में से 25 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जरिए बैयनामा विक्रय कर दी। जिसका इंतकाल संख्या 13 दिनांक 01.09.1993 दर्ज किया गया। इंतकाल संख्या 13 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की क्रयशुदा 25 बीघा भूमि का इंतकाल दर्ज ना कर 22 बीघा भूमि का ही इंतकाल दर्ज किया गया। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम 28 बीघा भूमि शेष रह गई जो 25 बीघा भूमि ही रहनी चाहिए थी। उक्त इंतकाल संख्या 13 के गलत दर्ज होने से वादग्रस्त 3 बीघा रकबा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का था ही नहीं उसको भी शेष बचे 25 बीघा भूमि के साथ कुल 28 बीघा को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 भूपसिंह को बेचान कर दिया। जिसका अपीलाधीन इंतकाल संख्या 56 को गलत दर्ज कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को वादग्रस्त 3 बीघा भूमि जो उसकी थी ही नहीं उसका बेचान कर दिया। जो कानूनन गलत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 25 बीघा भूमि का ही कब्जा दिया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भानी सिंह के पास 1980 से 25 बीघा भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय अति कलक्टर सूरतगढ़ ने इंतकाल संख्या 13 दिनांक 01.09.1993 के क्रम में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की शेष रही 3 बीघा भूमि के संबंध में नियमानुसार निर्णय पारित कर नामान्तरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान किए है। जो उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, उभय पक्ष की बहस एवं न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मेहन्त कंवर ने अपनी 50 बीघा भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भानीसिंह को चक 226 आर.डी–आर के मुरब्बा नंबर 193/5 की 25 बीघा भूमि दिनांक 02.12.1980 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय की गई, परन्तु मुरब्बा नंबर 193/5 में कुल 22 बीघा भूमि ही तस्दीक है। चक 226 आर.डी–आर के मुरब्बा नम्बर 193/5 में कुल 22 बीघा भूमि होने से 25 बीघा भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भानी सिंह का एक घोषणात्मक वाद उक्त वादग्रस्त 3 बीघा भूमि के सबंध में अधीनस्थ न्यायालय विचाराधीन है। जिसमें उक्त वादग्रस्त 3 बीघा भूमि के अधिकार तय होने शेष है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 19.09.2011 को निरस्त किया जाता है, साथ ही अपीलाधीन इंतकाल संख्या 13 दिनांक 01.09.1993 आंशिक रूप से 3 बीघा भूमि के अधिकार अधीनस्थ न्यायालय के घोषणात्मक दावे से तय नही हो जाते तब तक अपीलांट द्वारा उक्त वादग्रस्त 3 बीघा भूमि का विक्रय या बैय नहीं किया जावें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर